

नेट प्रजेन्ट वैल्यू की (NPV) गणना

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2007 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली मथुरा मार्ग का कासगंज जिला मुख्यालय तक 4 लेन चौड़ीकरण सुद्वीकरण कार्य में एटा जनपद के अर्न्तगत कि. मी. 0 से 20 कि.मी. में 22.80 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि की एन.पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है-

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	ईको क्लास	धनत्व	प्रति हे0 वैल्यू रू0 में	कुल वैल्यू रू0 में
एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली मथुरा मार्ग का कासगंज जिला मुख्यालय तक 4 लेन चौड़ीकरण सुद्वीकरण कार्य में एटा जनपद के कि.मी. 0 से 20 कि.मी. के बीच	संरक्षित वन	22.80	III	0.3	6,26,000	1,42,72,800.00
योग :- 22.80						1,42,72,800.00
रू0 एक करोड़ बयालीस लाख बाहत्तर हजार आठ सौ मात्र						

प्रदेशीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग
एटा